

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 25/09/19

संख्या-1/पी0-102/2014 खण्ड का०- 7741 / दिनांक 28-30 सितम्बर, 2019 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का राँची, गुमला एवं देवघर आगमन तथा दिनांक 30.09.2019 को राँची विश्वविद्यालय में 33वें दीक्षांत समारोह में आयोजित कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के शामिल होने के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को दिनांक 27.09.2019 से 30.09.2019 तक उपायुक्त, राँची के नियंत्रणाधीन प्रतिनियुक्त किया जाता है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-21 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है :-

1. श्री अभिजीत सिन्हा, भा.प्र.से. (2018-परीक्ष्यमान), दुमका
2. श्री रितुराज, भा.प्र.से. (2018-परीक्ष्यमान), गोड्डा

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22.09.25/9/19

(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-102/2014 खण्ड का० - 7741 / राँची, दिनांक 25/09/19

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.09.25/9/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-102/2014 खण्ड का० - 7741 / राँची, दिनांक 25/09/19

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/उपायुक्त, राँची/ गुमला/देवघर/दुमका/गोड्डा/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.09.25/9/19

सरकार के अवर सचिव।